

प्रथम संस्करण के प्रति आमुख (1994)

सरकारी लेखापरीक्षा संस्था का भारत में लगभग 140 वर्षों का इतिहास रहा है। प्रारम्भ में लेखापरीक्षा का कार्य वित्तीय विवरणों और लेनदेनों की नियमितता की जांच तक सीमित था। कई वर्षों से इसमें वित्तीय प्रबन्धन और निष्पादन को शामिल किया गया है। केन्द्रीय और राज्य सरकारों, केन्द्रीय और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, सरकार से ऋण और अनुदान प्राप्त करने वाले स्वायत्त निकायों और प्राधिकरणों की कर और अन्य प्राप्तियों को भी सरकारी लेखापरीक्षा के परिक्षेत्र में शामिल किया गया है। कार्यक्रमों, परियोजनाओं और संगठनों की कार्यकुशलता, मितव्ययिता और प्रभावकारिता का अब मूल्यांकन किया जाता है।

सरकारी बजट और लेखे मात्र वित्तीय विवरण नहीं होते हैं। एक कल्याणकारी राज्य के संदर्भ में, यह राष्ट्र के विकास के लक्ष्य दर्शते हैं। इसलिए राजस्व, उपभोग व्यय, बचतों, लोकऋण, पूंजी व्यय और प्रतिफल का समीक्षात्मक विश्लेषण न केवल प्रशासन की बल्कि लेखापरीक्षा की भी जिम्मेदारी होती है। प्रभावी वित्तीय नियंत्रण में भी समवर्ती आंतरिक जांच और लेखापरीक्षा अपेक्षित है जो अधिक विश्वसनीय और शीघ्रता से तथा कम लागत पर की जा रही स्वतंत्र बाह्य लेखापरीक्षा को अधिक सुकर बनाता है। लेखापरीक्षक अकेले कार्य नहीं करते हैं और उनके तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों तथा स्वायत्त निकायों तथा प्राधिकरणों के प्रशासकों और प्रबंधकों के बीच सोदेश्य अन्योन्य क्रिया आवश्यक है।

सरकारी लेखापरीक्षकों को अपने आप को अपने कार्य के लिए आवश्यक संकल्पनात्मक कौशल से पर्याप्त रूप से तैयार रखना चाहिए। इस संदर्भ में, लेखापरीक्षण मानक मूल सिद्धान्तों और पद्धतियों के उन प्रतिमानों

को निर्धारित करते हैं जिनकी सरकारी लेखापरीक्षकों से अनुपालन करने की आशा की जाती है। मानकों को उन दिशानिर्देशों द्वारा पूरित किया जाना होता है जो भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग में कार्य को नियंत्रित करने वाले स्थायी आदेशों की नियमपुस्तिकाओं और अन्य नियमपुस्तिकाओं में निर्दिष्ट किए गए हैं। किसी भी रूप में ये मानक भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों को शासित करने वाले संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों पर प्रभाव नहीं डालते हैं। मानकों में कानूनी रूपरेखा में व्यावसायिक विकासों और परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर आशोधन अपेक्षित हैं।

(सि. िज.सोमैया)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

1994